

पत्रांक :-3/यो01-18/2023 (उ0शि0) 87/9448

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 23/06/2023

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत स्थायी संबद्धता प्राप्त गैर अनुदानित स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों को सहायता अनुदान मद में विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुमान्य अनुदान की राशि रु0 7,56,00,000/- (सात करोड़ छप्पन लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग -

विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग का पत्रांक 170 दिनांक 15.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 86/बजट दिनांक 21.06.2023 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत स्थायी संबद्धता प्राप्त गैर अनुदानित स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों को सहायता अनुदान मद में विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुमान्य अनुदान की राशि रु0 7,56,00,000/- (सात करोड़ छप्पन लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य स्कीम के शीर्ष- "मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष- BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थाना हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) (विपत्र कोड- 21S220203102BS000646) (स्कीम कोड-2107) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं संबंधित कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर अनुदान समिति द्वारा अनुशासित महाविद्यालयों को यथा निर्धारित राशि बैंक ड्राफ्ट/RTGS द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

5. कुलसचिव, विनोबाभावे विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का व्यय अपने स्तर से नियमानुसार जाँच करते हुये संतुष्ट होने के उपरांत ही संबंधित महाविद्यालयों को राशि की विमुक्ति किया जाय।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।
9. स्वीकृत्यादेश संख्या 86/बजट दिनांक 21.06.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-18/2023 (उ0शि0) 87/955 /रॉची, दिनांक- 23/05/2023
प्रतिलिपि -महालेखाकार, हिनू, रॉची, झारखण्ड/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/ जिला कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-18/2023 (उ0शि0) 87/955 /रॉची, दिनांक- 23/05/2023
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चाहू वितीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO1-18/2023/87/BUDGET

दिनांक - 23-Jun-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BS000646 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BS - निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलटसी, द्वितीय पोली कक्षा तक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं 00-NA 06 - अनुदान State Scheme	37501	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 46 - सहायता अनुदान सामान्य (वित्त)	75,600,000.00 रुपये सात करोड छप्पन लाख
	State Scheme : Central Scheme :		FREE & DISTANCE EDUCATION, COACHING CENTER, WORKSHOP, CONSULTANCY, SECOND SHIFT CLASSES, NAAC, RESEARCH, INCUBATION CENTER AND GRANTS-IN-AID TO VITTA RAHIT COLLEGES(2107)	



योग: रुपये सात करोड छप्पन लाख

75,600,000.00

क्रमिक योग:

(GABIMA SINGH)
DIRECTOR